न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 187 / 2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
मेघराज पुत्र तेजाराम जाति माली निवासी सोमणा रोड सुरजनियावास, तहसील व जिला नागौर।		1 तेजाराम पुत्र चन्दणाराम 2 लिखमाराम पुत्र तेजाराम 3 पूर्णमल पुत्र तेजाराम जातियान माली निवासीगण सोमणा रोड, सुरजनियावास तहसील व जिला नागौर। 4 चाईना पुत्री तेजाराम पत्नी सुगनसिंह जाति माली निवासी मेडतारोड तहसील मेडता। 5 किशनाराम पुत्र चन्दणाराम जाति माली निवासी सोमणा रोड, सुरजनियावास तहसील व जिला नागौर। 6 तहसीलदार, नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री श्याम कुमार व्यास, ओमप्रकाश गौड, अधिवक्तागण अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश फूलफगर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से।
3. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 6 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 08.09.2022

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा ग्राम सुरजनियावास के नामान्तरकरण सं. 749 निर्णय दिनांक 05.06.2018 से असंतुष्ट होकर दिनांक 24.07.2018 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 09.08.2018 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से श्री ओमप्रकाश फूलफगर अधिवक्ता तथा रेस्पोडेन्ट सं. 6 की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3, 4 व 5 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में नामान्तरकरण सं. 749 दिनांक 05.06.2018 की फोटोप्रति, स्थगन आदेश दिनांक 12.04.2014 की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर नागौर में प्रस्तुत दावे की फोटोप्रति तथा एसडीओ कोर्ट नागौर के प्रकरण संख्या 3314 के फर्द अहकाम दिनांक 09.04.14 से 26.07.2022 की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण आदेश जैर अपील एकपक्षीय रूप से अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिए, बिना नोटिस दिये पारित कर दिया। इस कारण अपीलांट को आदेश जैर अपील की समय पर जानकारी नहीं हो सकी। अभी हाल ही में जब अपीलांट ने उक्त विवादित खेताय की जमाबंदी की नकले हल्का पटवारी से प्राप्त की तब उसमें नामान्तकरण का उल्लेख किया हुवा था तब अपीलांट ने तहसील नागौर से नामान्तकरण जैर अपील की नकल दिनांक 26.06.2018 को निकलवाई, तब अपीलांट को इस बात की प्रथम बार जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट को आदेश जैर अपील की कोई जानकारी नहीं थी। इस कारण अपीलांट द्वारा अब अपील पेश हुई। चुंकि नामान्तकरण जैर अपील स्थगन आदेश प्रभावी होने के बावजूद भी अवैध व विधि विरूद्व ढंग से स्वीकृत किया गया है ऐसी स्थिति में ऐसे नामान्तकरण को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। फिर भी न्याय हित में हुई देरी को माफ करने के लिये उक्त मियाद आवेदन पेश किया। जिसका राजकीय अधिवक्ता द्वारा कोई विरोध नही किया गया। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। अंतिम बहस शुरू करते हुए वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–नामान्तकरण आदेश जैर अपील विधि विरूद्व तथा साक्ष्य सबूतों के विपरीत मनमाने ढंग से कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर पारित किया गया होने से निरस्तनीय है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(II)– विवादित खेत खसरा नम्बर 237 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 364/1 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 366 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 370 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 371 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम सुरजनियावास तहसील व जिला नागौर अपीलांट व रेस्पो. सं. 1 से 5 के पुश्तैनी खेत है, जिसकी खातेदारी पूर्व में अपीलांट के दादा चन्दणाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। चन्दणाराम के देहांत के पश्चात् वादग्रस्त खेताय की खातेदारी उनके दोनो पुत्रों अप्रार्थी संख्या 1 व 5 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी गई। किन्तु उक्त खेताय में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार अपीलांट का जन्म से ही हक हिस्सा निहित करता आया है। इस प्रकार अपीलांट का विवादित खेताय में 1/2 हिस्से में से 1/10 वां हिस्सा जन्म से ही निहित करता आया है।

{2}(III)–विवादित खेताय बाबत वादी अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 के विरूद्व सहायक कलक्टर नागौर के न्यायालय में बंटवाडा हेतु राजस्व वाद पेश किया हुवा था जिसके साथ प्रस्तुत 212 आर.टी.एक्ट. के आवेदन में सहायक कलक्टर नागौर द्वारा दिनांक 12.04.2014 को विवादित खेत के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने व विवादित खेताय का विक्रय हस्तांतरण नहीं करने बाबत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। जिसकी जानकारी तमाम रेस्पोडेन्ट्स को शुरू से ही रही है। उक्त स्थगन आदेश के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट्स ने आपस में मिलावट कर अभी हाल ही में दिनांक 5.6.18 को नामान्तकरण 749 अवैध व विधि विरूद्व ढंग से स्वीकृत करवा लिया जबकि सहायक कलक्टर नागौर द्वारा जारी स्थगन आदेश आज भी प्रभावी है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट्स ने सहायक कलक्टर नागौर द्वारा पारित स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुवे नामान्तकरण जैर अपील स्वीकृत किया है। जो पूर्णतया अवैध व विधि विरूद्व होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

{2}(IV)–नामान्तकरण जैर अपील स्वीकृत करने की रेस्पोडेन्ट संख्या 6 को कोई विधिक अधिकार नहीं था क्योंकि अन्तरण के मामले में प्रथम 45 दिन तक नामान्तकरण तस्दीक करने का अधिकार केवल ग्राम पंचायत को विधि अनुसार प्राप्त है। इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जो नामान्तकरण जैर अपील स्वीकृत किया है वह निरस्त किए जाने योग्य है।

{2}(V)–नामान्तकरण जैर अपील स्वीकृत किए जाने से पूर्व रेस्पो. संख्या 6 ने किसी प्रकार की कोई जांच पुश्तैनी अथवा स्वअर्जित सम्पति होने बाबत् नहीं की, न ही अपीलांट को किसी प्रकार का नोटिस दिया, न ही सुनवाई का अवसर दिया, न ही न्यायालय सहायक कलक्टर नागौर से किसी प्रकार का मार्गदर्शन लिया एवं बावजूद स्थगन आदेश के अवैध व विधिविरूद्व ढंग से नामान्तकरण जैर अपील स्वीकृत कर दिया। जो निरस्तनीय है।

{3}–रेस्पोडेन्ट सं. 2 के अधिवक्ता द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि RAA द्वारा दिनांक 23.03.2018 को स्थगन आदेश निरस्त किया गया था तथा जब नामान्तरण निर्णित हुआ तब किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं था। जो बेचाननामा है उसको निरस्त करने का कोई विवाद विचाराधीन नहीं है।

{4}–राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि ग्राम सुरजिनायावास का नामान्तरकरण सं. 749 दिनांक 05.06.2018 जारी किया गया। जो बेचाननामा के आधार पर जारी किया गया है। नामान्तरकरण विधि सम्मत है।

{5}–उभय पक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मौजा सुरजनियावास का नामान्तरकरण सं. 749 दिनांक 05.06.2018 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रतीत होता है कि उक्त नामान्तरकरण, सहायक कलक्टर नागौर के स्थगन आदेश प्रभावी होने के बावजूद बिना विधिक प्रक्रिया के पालना के भरा गया है। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{6}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील आशिंक स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस संबध मे सभी दस्तावेज अभिलेख पर लेकर दोनो पक्षो को नोटिस देकर शहादत, सबूत एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए विधि अनुसार गुणावगुण पर ताजा आदेश पारित करे।

{7}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर